कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2085 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 19 फरवरी, 2025.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग –3

विषयः– जनपद देहरादून में लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
(Online Proposal NO- FP/UK/ROAD/10814/2015)

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0– 510(1)/X–4–15/1(291)/2015 दिनांक 29.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 3786/12–1 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8350 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8350 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू. 405405.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व मे जमा करायी जा चुकी है। (संलग्नक–1) एवं उक्त की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी की पत्र संख्या :– 2646/12–1 दिनांक 25.01.2020 से इस कार्यालय में अवगत कराया जा चुका है। (संलग्नक--2) उत्तराखण्ड शासन द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आरक्षित/संरक्षित घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। (संलग्नक--3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आस –पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 800000.00 मात्र की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में जमा करायी जा चुकी है। चालान की प्रति 1 के अनुसार।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 1197788.00 पूर्व में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–4) एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं0– 5–3/2011–एफ0सी0 दिनाक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता द्वारा एन0पी0वी0 की नई दरों अनुसार धनराशि रू0 227097.00 मात्र जमा कर दी गई चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–5)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

5	भारत सरकार के पत्र सं0– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–6)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाऐगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाएगा (संलग्नक–7)
8	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–8)
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम लिया जायेगा व प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का कब्जा प्रयोक्ता एजेंसी को दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
11	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 2685 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली. फैक्स नं0–01360–275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः–3786 / 12-1 चकराता, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

सेवा मे,

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन शासनादेश संख्या –510(1)/X–4–15/1(291)/2015 दिनांक 29.07.2015 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) एवं अधिशासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, साहिया की पत्र संख्या–1991/6 सी0 दिनांक 27.11.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदंर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग पर, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0– 510(1)/X–4–15/1(291)/2015 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 2646/12–1 दिनांक 25.01.2020 से आपको विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं0 5–3/2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि नई दरों से जमा करने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या 1145/12–1 दिनांक 10.09.2024 प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा गया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सन्दर्भित पत्र से एन0पी0वी0 की धनराशि नई दरों से जमा करते हुए एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित है।

क0 स0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8350 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	अवगत कराना है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8350 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू. 405405.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में जमा करायी जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्नक–1) एवं उक्त की सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या – 2646/12–1 दिनांक 25.01.2020 से पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है पत्र संलग्न (संलग्नक–2) व उत्तराखण्ड शासन द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगूनी भूमि आरक्षित/संरक्षित घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रति संग्लन है। (संलग्नक–3)
2	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	अवगत कराना है कि आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू 800000.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व मे जमा करायी जा चुकी है चालान की प्रति सलग्न–1 के अनुसार।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 1197788.00 पूर्व मे जमा की जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्नक–4) एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं0– 5–3/2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की नई दरों अनुसार धनराशि रू0 227097.00

स0अधि0/प्रभारी देहरादून
प्र0/वन लेख

NEW 4243

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0—01360—275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

		मात्र जमा कर दी गई चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक—5)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो वढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं। वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक—6)
5	भारत सरकार के पत्र सं0— 5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रवंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0—एस0बी0—25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0—566 एवं भारत सरकार पत्र सं0—5—3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दुसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाऐगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक—7)
8	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण—पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण—पत्र संलग्न है। (संलग्नक—8)
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान वाजार दर से मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर मूल्य के वरावर प्रीमियम लिया जायेगा व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का कब्जा प्रयोक्ता एजेंसी को दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

NEW 4244

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0--01360--275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाइन नं0 18008909715

11	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः महोदय उपरोक्त अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित की उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3786 / 12-1 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, राहिया को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

संल-5 - 01

	FP/UK/ROAD/14462/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/14462/2015) Construction of Daudha Motar Road	ROAD144622015326	113144622015326	31 May 2016	CA: 419150/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 597870/- , strip plantation : 1381248/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2398268/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jan 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 06 Jan 2017 Transaction Date : 10 Jan 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1116121312 Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCo
13	FP/UK/ROAD/10464/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10464/2015) Shumbhoo ki chauki to Dadau-Panjiya-Banasar-Thurau MR extention	ROAD104642015745ML	113104642015745	30 Sep 2015	CA: 583143/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1566292/- , 10 yrs. plantation and footpath etc. : 2420000/- NA : 0/- NA : 0/- NA : 0/- Total : 4569435/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 03 Feb 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5118121512 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
14	FP/UK/ROAD/10814/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10814/2015) Lakshyar-Ludhra-Kyari-Kachata	ROAD108142015827	6110814827	29 Jul 2015	CA: 405405/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 800000/- NPV: 1197788/- , strip plantation : 0/- strip plantation : 0/- strip plantation : 0/- strip plantation : 0/- Total : 2403193/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Dec 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1211101281 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
15	FP/UK/ROAD/10823/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10823/2015) Kyari Kachata Moter Road To Masasa	ROAD108232015014	6110823014	27 Jul 2015	CA: 15015/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 300000/- NPV: 34493/- , strip plantaion : 0/- strip plantaion : 0/- strip plantaion : 0/- strip plantaion : 0/- Total : 349508/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Dec 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1211101244 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a

12

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)
For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

संलग्न-02

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-2646/12-1 दिनांक, चकराता 25 जनवरी 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद-देहरादून के अन्तर्गत लख्स्यार-लुधेरा-क्यारी-कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

संदर्भ - आपका पत्रांक-436 दि0 04.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

1-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु रू0 8,00,000.00 मात्र (रू0 आठ लाख मात्र) एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रू0 4,,05,405.00 मात्र (रू0 चार लाख पॉच हजार चार सौ पॉच मात्र) की धनराशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

2-जिलाधिकारी, देहरादून का प्रमाण-पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि का उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

3-क्र0सं0-1 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

4-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र स0 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि रू0 11,97,788.00 मात्र (रू0 ग्यारह लाख सत्तानवें हजार सात सौ अट्ठासी) मात्र एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है।

5-क्र0सं0-1 एवं 4 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

6-शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

7-क्र0सं0-1 एवं 3 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

8-प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

9-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्र पूर्व ही उपलब्ध करा दिये गये है।

10, 11 व 12-6-प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है/किया जायेगा। वॉछित अभिलेख तीन-तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक - उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

NEW 3675

संलग्नक-03

क्र0 12215-1

15217/2021

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1766/X-3-21/14(02)/2021
देहरादून: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला देहरादून में लो0नि0वि के अन्तर्गत लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा हल्का मोटर के लिए हस्तान्तरित 1.4175 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी देहरादून द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–5(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 2.834 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकबा (है0 में)	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	देहरादून	क्यारी	00107	809	2.910	1.834	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5(3)(ड0)
				750	4.290	1.000	
			कुल योग :–		7.200	2.834	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग–2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

ID	Longitude	Latitude
1	77°59' 9.57" E	30°35' 7.46" N
2	77°59' 13.13" E	30°33' 13.07" N
3	77°59' 8.15" E	30°35' 17.32" N

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:– 1766 /X-3-21/14(02)/2021,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
7. उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
8. उप जिलाधिकारी, कालसी/चकराता/त्यूनी।
9. निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 03-12-2021 15:42:34

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-04

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

जमा पर्ची PAY-IN-SLIP

दिनांक Date 21/12/11 201

जमा की शाखा Deposited in Branch

खाताधारक का नाम A/C HOLDER'S NAME

खाता, बनाये रखा गया Account maintained with .... शाखा Branch

खाता संख्या Account Number 027114010102229

खाता प्रकार Type of Account

चेक / डीडी / नकद CHEQUE / DD / CASH PARTICULARS	राशि Amount Rs.	Ps.
750201 dt. 23-12-11	56,98,527/-	
कुल जोड़	56,98,527/-	

स्क्रोल सं. SCROLL NO.

रुपए Rupees

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

जमा पर्ची PAY-IN-SLIP

दिनांक Date 21/12/11 201

जमा की शाखा Deposited in Branch

खाताधारक का नाम A/C HOLDER'S NAME

खाता, बनाये रखा गया Account maintained with .... शाखा Branch

खाता संख्या Account Number 027114010102229

खाता प्रकार Type of Account

चेक / डीडी / नकद CHEQUE / DD / CASH PARTICULARS	राशि Amount Rs.	Ps.
750201 dt. 23-12-11	56,98,527/-	
कुल जोड़	56,98,527/-	

स्क्रोल सं. SCROLL NO.

रुपए Rupees

Photocopy attested
5/3/17
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

[illegible] 5/3/17
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
साहिया

संलग्न-05

AGENCY COPY

Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 03-10-2024

Client Code.	CAM5080
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110814200
MoEF/SG File No.	1(201)/2015
Address.	Executive Engineer,ty.division,PWD,Sahiya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No, Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9458743031 1360-274606
Amount(In Rs)	227097/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jolitta Towers, Mission Road, Bangalore-560027

Amount In Words:Two Lakh Twenty-Seven Thousand and Ninety-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies ma

Note:After making the required payment through chal
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Id to Email: fcsbtr@unionbankofindia.bank , opurso@al

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
साहिया (देहरादून)

संलग्न-06

प्रारूप–51

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून में लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

संलग्न-07

प्रारूप–34

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून में लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

संलग्नक - 8

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehra Dun

Dated 07.03.2015

No

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4170 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachta Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Mehsasa/Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4170 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Nath Raman)

Dehradun.

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 07.03.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.417 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachta Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Mehsasa/ Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.417 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of..KYARI.............. villages(s) is enclosed as annexure30.3To annexure30.4

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Nath Raman)

District Magistrate

Dehra Dun.

प्रपत्र 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 07.03.2015 at time 12 P.M...at Dehradun In which application claiming rights in measuring 1.417Area hect for the construction of LAKSHYAR-LUDHARA-KYARI-KACHTA MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Dehradun

Dated:.07/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

(Ravi Nath Raman)
District Magistrate
Dehra Dun

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07/3/15 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर mक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जनपद– देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार– लुघेरा–क्यारी–कचटा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन किमी0 11 से 14 एवं विस्तार 15 से 18 निर्माण हेतु 1.417 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 184 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा –6 (1) के अनुसार उभौ, क्यारी, ग्राम सभा के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 11.11.2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा –6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 27.2.15 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु–भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून सदस्य सचिव	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता सदस्य	जिलाधिकारी अध्यक्ष देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता (देहरादून)

District Magistrate Dehra Dun

प्रपत्र– 30.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कच्टा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.822 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.417है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.383 है0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल2.800 है0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजातिऔर अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –कालसी) की दिनांक 11-11-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी

1– श्री अशोक पाण्डेय , उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून (अध्यक्ष)
2– श्री डा० डी० सतीलिमा.........उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता (सदस्य)
3– श्री मिठन लाल , सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य / सचिव)
4– श्री राजेश नौटियाल. वी0डी0सी0 क्षेत्र – लाच्छा (सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15– 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383है0) अर्थात कुल 2.800है0 का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

तहसीलदार
कालसी

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ...स्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग क विस्तार किमी0 15 से 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि,नापभूमि 1.383) अर्थात कुल 2.800 है0 को अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

कार्यालय
ग्राम पंचायत क्यारी
तहसील—कालसी, जिला—देहरादून

परियोजना का नामः— जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार—लुधेरा—क्यारी—कचटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15— 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है0) अर्थात कुल 2.90 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा दिनांक 11.11.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा क्यारी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है0) अर्थात कुल 2.90 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15— 18 तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम प्रधान क्यारी

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 ....
दि0 ....
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

प्रपत्र— 50·4

दिनांक —: 11.11.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्रामपंचायत —क्यारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्यामलाल नौटियाल	[illegible]
2.	कृपाराम "	
3.	प्रेमदत्त "	प्रेमदत्त
4.	बालीराम "	[illegible]
5.	दीपाराम "	दीपाराम
6.	रामचन्द "	रामचन्द्र
7.	कान्हीराम "	[illegible]
8.	धर्मदत्त "	[illegible]
9.	ताराचन्द "	ताराचन्द
10.	दिनेश "	[illegible]
11.	अर्जुन दत्त "	अर्जुनदत्त
12.	नवीन "	
13.	खुशीराम "	खुशीराम
14.	नारायणदत्त "	नारायणदत्त
15.	कुन्नादास	कुन्नादास
16.	गोपाल	गोपाल
17.	पिन्टू	पिन्टू
18.	रवजी दास	रवजीदास
19.	नरदा दास	नरदा
20.	शम्भू दास	शम्भूदास
21.	गिजान दास	गिजानदास
22.	रामबहादुर	रामबहादुर

ह0 / —
ग्राम प्रधान

सेव [illegible] प्रदेश [illegible] [illegible] (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 [illegible]
दि0
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

क्रम सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	निर्मला देवी w/o श्रवण लाल म्यार	नि मला
2-	सन्तो देवी w/o ओमाराम म्यारी	सन्तो देवी
3-	श्रीमती इन्द्रा देवी w/o शिवदत्त म्यारी	
4-	इन्द्रा देवी w/o जोगराम म्यारी	इन्द्रा देवी
5-	श्रीमती प्रभादेवी w/o ब्रह्म दत्त म्यारी	अ० नि० प्रभा देवी
6-	तारो देवी w/o नारायण दत्त म्यारी	आ० नि० तारो देवी
7	श्रीमती अनिता देवी w/o राम सिंह म्यारी	नि०